सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 24.11.2023

गैर इरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षो को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.11.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त समयदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 19.11.2023 को पुरानी रंजिश के चलते वादिनी मेहरूल निशा व उसके लड़के को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डो से मारा पीटा था। जिससे वादिनी के लड़के की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. समयदीन पुत्र रामदयाल नि0 नि0 ग्राम तेंदुआ भगत थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-320/23, धारा 323,504,506,304 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 मनीराम यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 24.11.2023

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने जानलेवा हमला व लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे दो नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 24.11.2023 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर लगभग 01 वर्ष से मु0अ0सं0 516/22 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 IPC व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में फरार चल रहे 02 अभियुक्तगण 1. राम जियावन, 2. रंजीत कुमार को अम्बेडकर चौराहा कलेक्ट्रेट गेट के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राम जियावन पुत्र साधू निवासी ग्राम खिरौरा मोहन थान को0 देहात गोण्डा।
02. रंजीत कुमार पुत्र राम उजागर निवासीगण ग्राम खिरौरा मोहन थान को0 देहात गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

अम्बेडकर चौराहा कलेक्ट्रेट गेट के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 516/22 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 IPC व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

व0उ0नि0 खुश मोहम्मद खाँ मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 24.11.2023

थाना छपिया पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 24.11.2023 को थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नारायनपुर नानकार रोड़ राजा बगिया के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नशीली गोलियां बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अमन कुमार निषाद पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम कस्बा मनकापुर थाना मनकापुर जनपद गोंडा।
02. शत्रुघ्न उर्फ आशु वर्मा पुत्र राम रंग वर्मा निवासी ग्राम सुब्बापुरवा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोंडा।
03. राजन चौधरी पुत्र राम पदारथ निवासी ग्राम भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-328/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

तीन प्लास्टिक की पन्नी में 450 गोली निट्राजेपाम टेबलेट निट्रैवेट 10mg व अल्प्राजोलम Ip 0.5mg रेलैम 0.5mg नशीली दवा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 राजेश कुमार दुबे मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोंडा
दिनांक 24.11.2023

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गुमशुदा महिला को बरामद कर उसके परिजन को किया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल ने ‘‘ऑपरेशन मिलन’’ के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा बालकों/व्यक्तियों/महिलाओं की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गुमशुदा तारा देवी को बरामद किया गया। गुमशुदा महिला दिनांक 18.10.2023 से कही गुम हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक सरजू प्रसाद पुत्र कोदई गौतम द्वारा अपनी पत्नी की गुमशुदगी थाना कौड़िया में दर्ज करायी गयी थी। जिसमे आज 24.11.2023 को थाना कौड़िया के उ0नि0 संजीव कुमार राय द्वारा गुमशुदा महिला को बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अपने को पाकर परिजनो द्वारा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त सराहनीय कार्य की आमजनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-28 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त बजरंगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार का0 अनूप यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा ने 10 वर्ष की कठोर सजा व रू0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. बजरंगी पुत्र रामअचल नि0 प्रभू वैश्य मौजा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 366/2019, धारा 376 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.11.2023

जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानेलवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्तों–01. राकेश कुमार, 02. राजेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण मु0अ0सं0–992/22, धारा 323,504,506,307 भादवि में लगभग 01 साल से वांछित चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राकेश कुमार पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र नि0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. राजेश पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र नि0 पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–992/22, धारा 323,504,506,307 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 सुरेशमणि मिश्रा मय टीम।